न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1140/2026

रघुनाथपुर थाना कांड सं0–293/2026 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–310(2) भारतीय न्याय संहिता

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

प्रिंस कुमार गोंड..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री अरविंद कुमार मांझी, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

22.06.2026

आवेदक/अभियुक्त प्रिंस कुमार गोंड की ओर से रघुनाथपुर थाना कांड सं0–293/2025, अंतर्गत धारा–310(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक कृष्णा प्रसाद के द्वारा दिए गए फर्द बयान के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक का कृष्णा ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार के नाम से आभूषण और बर्तन की दुकान टारी बाजार, थाना रघुनाथपुर, सिवान में है। सूचक दिनांक 27.11.2025 को समय 08:00 बजे सुबह में दुकान खोलकर अपने पुत्र अंकित कुमार सोनी के साथ दुकान में बैठा था और आने वाले ग्राहकों को समान बेच रहा था इसी बीच 12:05 बजे अपराह्न में उसके दुकान में चार अपराधी हथियार के साथ अंदर घुसे और हथियार का भय दिखाकर दुकान में रखे आभूषण और नगदी देने के लिए कहा। हथियार के भय से सूचक ने अपराधियों से कहा कि जो चाहिए ले लो, लेकिन कुछ मत करो। इसके बाद इनलोगों ने सूचक के लड़का को धक्का देकर अलग हटा दिया और भयभीत करने के लिए तीन फायर किया लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। चारों अपने साथ लाये प्लास्टिक के बोरा में सूचक के दुकान की तिजोरी से बीस हजार रूपया नगद एवं सोने एवं चॉदी का अलग–अलग आभूषण तथा तिजोरी की तीन चाभी बोरा में भरकर अपने साथ ले गए। अपराधियों ने भयभीत करने के लिए बाहर भी कुछ अपराधियों को निगरानी करने के लिए रखा था। घटना के बाद हल्ला सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए जिनके सहयोग से उनका पीछा किया गया तथा पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पाकर पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुॅचकर आवश्यक कार्रवाई की गई। घटना में दो बाइक क्रमशः स्पलेन्डर और अपाची से कुल छः अपराधी आये थे। सभी का उम्र 18 से 25 वर्ष के आसपास था। सभी अपराधी हथियार लहराते हुए बाजार से उत्तर दिशा की तरफ भागे।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वह निर्दोष हैं उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे गलत उद्देश्य से झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है।

लगातार
22.06.2026

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त स्वच्छ छवि का व्यक्ति है तथा उसके विरूद्ध बी.एन.एस.एस. की धारा 310(2) के अंतर्गत अभियोग के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है और अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उसके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। अतः उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में यह निवेदन किया गया कि प्रस्तुत आपराधिक वाद में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के दुकान पर फायरिंग कर सोना–चॉदी एवं बीस हजार रूपया नगद लूटने का गंभीर आरोप है। यद्यपि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं किंतु कथित अपराध में आवेदक अभियुक्त की संलिप्तता का तथ्य सह अभियुक्त विक्की बैठा के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है और सह अभियुक्त विक्की बैठा के कब्जे से डकैती का सामान बरामद किया गया था। अतः उक्त तथ्यो के आलोक में अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, रघुनाथपुर थाना कांड सं0 293/2025, अंतर्गत धारा 310(2) भारतीय न्याय संहिता, अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा मिलकर सूचक के दुकान पर फायरिंग कर सोना–चॉदी एवं बीस हजार रूपया नगद लूटने के अभियोग के संदर्भ में संस्थित किया गया है। यद्यपि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है, किंतु उसकी कथित अपराध में संलिप्तता का तथ्य प्रस्तुत आपराधिक वाद के सह अभियुक्त विक्की बैठा के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है(कांड दैनिकी की कंडिका 28 में वर्णित) और गिरफ्तारी के समय विक्की बैठा के कब्जे से लूट का आभूषण भी बरामद किया गया। सह अभियुक्त विक्की बैठा के द्वारा दिए गये स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अभियुक्त अंकित कुमार कुशवाहा की तलाशी ली गई तो उसके पैंट के पॉकेट से एक मांगटीका सोने जैसा, बाल में लगाने वाला चांदी का लड़ी, एक जोड़ी पाजेब बरामद हुआ और प्रदीप कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह की तलाशी लेने पर उसके पैंट के पॉकेट से एक चांदी का चेन, एक मांगटीका सोने जैसा बरामद किया गया, तत्पश्चात् विधिवत जब्ती सूची बनाकर उक्त बरामद समानों को जब्त किया गया(कांड दैनिकी की कंडिका 31 में वर्णित)। अनुसंधान के क्रम में अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य के क्रम में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है(कांड दैनिकी की कंडिका 5,6,39,40,59 में वर्णित)। आवेदक/अभियुक्त के कथित अपराध में संलिप्तता का साक्ष्य कांड दैनिकी की कंडिका 27,31,37,73 में वर्णित है। कांड दैनिकी की कंडिका 160 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध घटना को सत्य पाते भा.न्या.सं. की धारा 310(2), 317(3) के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम

लगातार
22.06.2026

जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त प्रिंस कुमार गोड़ की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सिवान।